नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. एफ-3-9-2014-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न परन्तुक के साथ राज्य सरकार द्वारा शहडोल निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना, 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, शहडोल, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, शहडोल, मध्यप्रदेश.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी :—

परन्तु ग्राम गोरतरा तहसील, सोहागपुर के खसरा क्रमांक 67/3, 538/2, 539, 542/1/4/2 कुल रकबा 3.625 हेक्टेयर का भू-उपयोग उपान्तरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23(क) 1(ख) के अन्तर्गत राज्य शासन के समक्ष विचाराधीन होकर प्रारम्भिक सूचना दिनांक 26 जुलाई 2013 को जारी की गई थी. प्रारम्भिक सूचना के जारी किये जाने के फलस्वरूप उक्त भूमि के भू-उपयोग संबंधी अधिनियम के प्रावधान प्रभावशील हो गये. दिनांक 28 जनवरी 2014 को शहडोल विकास योजना के प्रारूप प्रकाशन की कार्यवाही मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 के अन्तर्गत की गई. उक्त कार्यवाही में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा वांछित भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया. चूंकि धारा 23(क) 1(ख) के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्व में प्रारम्भ कर दी गई थी एवं इस धारा के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के लिये लेव्ही शुल्क लिया जाता है. अत: ग्राम गोरतरा तहसील सोहागपुर के खसरा क्रमांक 67/3, 538/2, 539, 542/1/4/2 कुल रकबा 3.625 हेक्टेयर का भू-उपयोग आवासीय तभी मान्य होगा जब धारा 23(क) के अन्तर्गत देय लेव्ही शुल्क आवेदक द्वारा जमा कराया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. एफ-3-9-2014-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-9-2014-बत्तीस, दिनांक 31 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मुदगल, अवर सचिव.

Bhopal, the 31st March 2015

NOTICE

No. F-3-9-2014-XXXII.—Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Shahdol, 2031 (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:—

1. Commissioner, Shahdol Division, Shahdol, Madhya Pradesh.
2. Collector, Shahdol, District Shahdol Madhya Pradesh.
3. C.M.O., Municipal Council Shahdol, Madhya Pradesh.
4. Dy. Director, Town & Country Planning Distt. Office Shahdol, Madhya Pradesh.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under Section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973:—

Provided land use change case of Village Gourtara, Tahsil Sohagpur. Khasra No. 67/3, 538/2, 539, 542/1/4/2 Total area 3.625 Hac. under Section 23(A)1(B) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is under consideration of State Government for which initial notice has been issued on 26th July 2013. Provision's of the act has come into force for the said land due to publication of initial notice for land use change. Draft Development Plan for Shahdol was

published on 28th January 2014 under Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973. Applicant has proposed for desired land use for land in question in the above proceedings. Since proceeding's under Section 23(A)1(B) were initiated prior to publication and there is a provision of charging levy under this Section hence residential land use for Village Gourtara, Tahsil Sohagpur, Khasra No. 67/3, 538/2, 539, 542/1/4/2 Total area 3.625 Hac. will be valid only when due levy under Section 23(A) is deposited by applicant.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2015

फा. क्र. 17(ई) 4-2001-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल की स्थापना पर, अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपता है:—

1.	श्री अजय श्रीवास्तव, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, विदिशा.	प्रभारी रजिस्ट्रार
2.	श्री राजेन्द्र चौरसिया, अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर.	अतिरिक्त कल्याण आयुक्त
3.	श्री दीपक बंसल, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी.	उप कल्याण आयुक्त

फा. क्र. 17(ई) 67-2008-इक्कीस-ब(एक)-891.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर श्रम विभाग को सौंपता है:—

क्र.	नाम तथा पद	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री निसार अहमद, दशम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जबलपुर	श्री एम. के. त्रिपाठी, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, होशंगाबाद के स्थान पर.
2.	श्री राजकुमार वर्मा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वाह जिला मण्डलेश्वर.	श्री आर. एल. करोरिया, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इन्दौर के स्थान पर.
3.	श्री सुधीर मिश्रा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटारसी.	श्री आर. एस. चुंडावत, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, भोपाल के स्थान पर.
4.	श्री महेश कुमार चौहान, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के न्यायालय के अति. न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पेटलावद, जिला झाबुआ.	श्री ए. के. धाकड़, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, मंदसौर के स्थान पर.
5.	श्री आनंद कुमार सेहलाम, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जबलपुर.	श्रीमती शालिनी शर्मा, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, छिन्दवाड़ा के स्थान पर.
6.	श्री संतोष कुमार गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, परासिया, जिला छिन्दवाड़ा.	श्री ए. के. पाठक, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, ग्वालियर के स्थान पर.

फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस-ब(एक)-890.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को एतद्द्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है:—

क्र.	नाम	पदनाम/ पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री प्रदीप कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल में श्री विनोद भारद्वाज के स्थान पर.
2.	श्री श्यामकांत कुलकर्णी, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर में नवीन रिक्त पद पर.